भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2267
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 15 मार्च, 2018 को दिया जाना है

ई-वाहन नीति का पुन: प्रारूपण

2267. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिजली से चलने वाले वाहनों की सफलतापूर्वक शुरुआत हेतु प्रस्तावित बैटरी स्वैपिंग नीति अव्यवहार्य है;
(ख) क्या सरकार ई-वाहन नीति का प्रारूप पुन: तैयार करने का विचार कर रही है;
(ग) क्या सरकार ई-वाहन नीति के प्रारूपण हेतु शीर्ष पैनल प्रस्ताव में हर किसी को शामिल करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स (एसआईएएम) ने सूचित किया है कि बैटरी स्वैपिंग केवल वाणिज्यिक उपयोग अर्थात बसें और तिपहिया, जो व्यक्तिगत वाहन की तुलना में प्रतिदिन लंबी दूरी तय करते हैं, के उद्देश्य से बनाए गए वाहनों के लिए अधिक उपयुक्त होगी। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वैश्विक रूप से स्वैपिंग मॉडल पर प्रयोग किए गए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर एक व्यवहार्य प्रचालन एवं व्यापार मॉडल अभी आना शेष है।

(ख) से (घ): फेम स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] के चरण-I को जारी रखने की अधिसूचना में प्रावधान है कि भविष्य में निधियों के उपयुक्त आवंटन के बाद चरण-I के बाद इसके कार्यान्वयन हेतु स्टेकहोल्डरों से इनपुट और चरण-I में प्राप्त उपलब्धि और अनुभव के आधार पर स्कीम की उचित रूप से समीक्षा की जाएगी।

तदनुसार, नीति आयोग ने शून्य उत्सर्जन वाहनों और सहायक प्रौद्योगिकियों को आरंभ के लिए ट्रांसफॉरमेटिव मोबिलिटी को बढ़ाने हेतु एक कार्यनीति विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

****